

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:एफ.1021 सीसी/स्वा.का.पु./2018/1232 दिनांक : 14.5.18

संशोधित आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.08.17 की पालना में निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.1021 सीसी/स्वा.का.पु./2018/176 दिनांक 24.01.18 में आंशिक संशोधन करते हुये याचिकाकर्ता के पति स्व. श्री देवीशंकर शर्मा के स्थान पर स्व. श्री देवीशंकर भाटिया किया जाता है। आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।



(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.1021 सीसी/स्वा.का.पु./2018/1232 दिनांक : 14.5.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा।
7. संबंधित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित याचिकाकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर